"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2013— श्रावण 18, शक 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद युनूस खान वल्द स्व. दिलावर खान, आयु 57 वर्ष, निवासी-103, कंचनबाग, वार्ड क्र. 27, राजनांदगांव (छ. ग.) पिन-491441 का हूं. मैं छ. ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., राजनांदगांव (छ. ग.) में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदस्थ हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों (मैट्रिक की अंकसूची) में मेरा नाम मोहम्मद युनूस के आगे मेरा उपनाम (सरनेम) "खान" अंकित नहीं है. मैं अपने नाम के आगे अपना उपनाम जोड़कर अपना पूरा व सही नाम मोहम्मद युनूस खान रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे मोहम्मद युनूस खान वल्द स्व. दिलावर खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
मोहम्मद युनूस	मोहम्मद युनूस खान
(MOHAMMED YUNUS)	(MOHAMMED YUNUS KHAN)
पिता-स्व. दिलावर खान	पिता-स्व. दिलावर खान
निवासी-103, कंचन बाग, वार्ड क्र. 27	निवासी-103, कंचनबाग, वार्ड क्र. 27
राजनांदगांव (छ. ग.)	राजनांदगांव (छ. ग.)
पिन-491 441	पिन-491 441

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मैं श्रीमती शैलजा प्रिया अड़ियेचा, पति राजू कुमार अड़ियेचा, उम्र 45 वर्ष, स्थायी निवासी पेंशनबाड़ा, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) हाल निवासी-बैरन बाजार, लोक निर्माण विभाग कालोनी, क्वा. नं. जी/7, महिला पालिटेक्नीक कालेज रोड, रायपुर (छ. ग.) की हूं. विवाह पूर्व मैं कुमारी शैल साहू पिता स्व. कुमार साहू निवासी-गीता नगर 2/717, स्पंदन, रायपुर (छ. ग.) के नाम से जानी, पहचानी व पुकारी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है. यह कि मेरा विवाह दिनांक 27-05-2010 को राजू कुमार अड़ियेचा पिता हीराभाई आनन्द जी अड़ियेचा, निवासी-पेंशनबाड़ा, रायपुर (छ. ग.) के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती शैलजा प्रिया अड़ियेचा पति राजू कुमार अड़ियेचा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती शैलजा प्रिया अड़ियेचा पति राजू कुमार अड़ियेचा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. शैल साहू आत्मजा-स्व. कुमार साहू निवासी-गीता नगर 2/717 स्पंदन, रायपुर (छ. ग.)	श्रीमती शैलजा प्रिया अड़ियेचा पति-राजू कुमार अड़ियेचा स्थायी निवासी-पेंशनबाड़ा, रायपुर (छ. ग.) हाल निवासी-बैरन बाजार लोक निर्माण विभाग कालोनी क्वा. नं. जी/7 महिला पॉलीटेक्नीक कालेज रोड रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती यामिनी नागेन्द्र पति दिलीप कुमार सिन्हा, आयु-26 वर्ष, निवासी-मैत्री कुंज, पंचकुटी, रिसाली, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. विवाह पूर्व मैं कुमारी यामिनी नागेन्द्र पिता आर. के. नागेन्द्र के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है. यह कि मेरा विवाह दिनांक 03-06-2013 को दिलीप कुमार सिन्हा पिता परदेशीराम सिन्हा के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती निधि सिन्हा ध. प. दिलीप कुमार सिन्हा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती निधि सिन्हा ध. प. दिलीप कुमार सिन्हा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
कुमारी यामिनी नागेन्द्र आत्मजा-आर. के. नागेन्द्र निवासी-मैत्री कुंज, पंचकुटी रिसाली, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती निधि सिन्हा ध. प.- दिलीप कुमार सिन्हा निवासी-मैत्री कुंज, पंचकुटी रिसाली, भिलाई तह. व ज़िला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अर्जुन सिंह ध्रुव पिता शंकरलाल ध्रुव, जाति-गोंड, निवासी ग्राम-जमहा, पोस्ट-नवागांव (चीर) तह. व जिला-मुंगेली (छ. ग.) का हूं. मैं सी आई एस एफ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में पदस्थ हूं. यह कि मैं अपने पुत्र अंकित ध्रुव जिसकी जन्मतिथि 03-03-1997 है का नाम त्रुटिवश मेरे सर्विस रिकार्ड में यतेन्द्र ध्रुव व यूकित ध्रुव दर्ज हो गया है, को सुधार कर सही नाम अंकित ध्रुव दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरे पुत्र को अंकित ध्रुव पिता अर्जुन सिंह ध्रुव के नाम से जाना पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
यतेन्द्र ध्रुव, यूकित ध्रुव पिता-अर्जुन सिंह ध्रुव निवासी-ग्राम-जमहा पोस्ट-नवागांव (चीर) तह. व जिला-मुंगेली (छ. ग.)	अंकित ध्रुव पिता-अर्जुन सिंह ध्रुव निवासी- ग्राम-जमहा पोस्ट-नवागांव (चीर) तह. व जिला-मुंगेली (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, घुडिमितला यशू (GHURIMITALA YESU) पिता आदम (ADAM), आयु-31 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-9 ए, क्रास स्ट्रीट-11, सेक्टर-6, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम घुडिमितला यशू अंकित है. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के अभिलेखों में मेरा नाम त्रुटिवश जी. यसेबू (G. YESUF) दर्ज हो गया को सुधार कर मैं अपना सही नाम घुडिमितला यशू दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे घुडिमितला यशू पिता आदम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
जी. यसेबु (G. YESUF) पिता-आदम (ADAM) निवासी-क्वा. नं.-9 ए क्रास स्ट्रीट-11 सेक्टर-6, भिलाई नगर तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	घुडिमितला यशू (GHURIMITALA YESU) पिता-आदम (ADAM) निवासी-क्वा. नं.-9 ए क्रास स्ट्रीट-11 सेक्टर-6, भिलाई नगर तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नैय्यर इकबाल पिता आई. ए. अंसारी, उम्र 50 वर्ष, निवासी-चर्च रोड, मस्जिद के पास, फरीदनगर, सुपेला, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपनी पुत्री जिसकी जन्मतिथि 27-02-2004 है का नाम त्रुटिवश तुबा, बरीरा रोमान अंकित हो गया है को परिवर्तित कर सही व पूरा नाम बरीरा तुबा पिता नैय्यर इकबाल अंकित किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरी पुत्री को बरीरा तुबा पिता नैय्यर इकबाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
तुबा, बरीरा रोमान पिता-नैय्यर इकबाल निवासी-चर्च रोड, मस्जिद के पास फरीदनगर, सुपेला, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	बरीरा तुबा पिता-नैय्यर इकबाल निवासी-चर्च रोड, मस्जिद के पास फरीदनगर, सुपेला भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शैला इंगले ध. प. राजेन्द्र इंगले, उम्र-44 वर्ष, निवासी- म. नं. 344, गजानन नगर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.) की हूं. विवाह पूर्व मैं राजपूत शैला अभिमान आत्मजा अभिमान राजपूत के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है. मेरा विवाह दिनांक 21-12-1988 को राजेन्द्र इंगले निवासी म. नं.-344, गजानन नगर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) से सम्पन्न हुआ. यह कि विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती शैला इंगले ध. प. राजेन्द्र इंगले रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती शैला इंगले ध. प. राजेन्द्र इंगले के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
राजपूत शैला अभिमान (RAJPUT SHAILA ABHIMAN) पिता-अभिमान राजपूत निवासी-पुणे एग्रीकल्चर कॉलेज स्टाफ क्वार्ट्स, पुणे (महाराष्ट्र)	श्रीमती शैला इंगले (SMT. SHAILA INGLE) ध. प.- राजेन्द्र इंगले निवासी-म. नं.-344, गजानन नगर, दुर्ग तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

निविदा सूचनाएं

Raipur, the 30th July 2013

No. GB-IV Paper-(1) 2013-2014/569.- Sealed Tenders are invited for supply of approximately 115 M.T. (±25%) White Offset Paper and 85 M. T. other various kinds of papers i. e. Cover Manila, Maplitho Paper, Ladger Azurlaid Paper, Photo copier paper etc., for the printing works of the department to the Govt. Press at Raipur, Rajnandgaon superscribed with the words Tender for Printing paper 2013-2014 are invited from the paper mills or their Authorised Agents/Dealers of manufacturing Mills having Annual Excise clearance for 16000 Tonnes (only for White Offset paper) based on 50 TPD for about 320 Industrial days. Tenders must reach this office latest by 3.00 P. M. 30-08-2013 along with test report of papers from Govt. laboratory.

2. The tender will be considered only on the tender form supplied by us. It can also be submitted on the form downloaded from our website **www.etendersindia.net**

3. The tenders will be opened on the same day at 4.00 P. M. in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives also may be present. The tenders, samples along with test report from Govt. Laboratory and other tender documents received after the prescribed date and time will not be accepted under any circumstances irrespective of means of despatch and delivery.

4. The details of specifications of the papers and their quantities Required is given in the Tender Form. Tender form can be obtained from Office of the Director, Govt. Printing and Stationery, C.G., Raipur-492001 Near Commercial Tax Office, Civil Line in person on any working days during working hours upto 20-08-2013 at the cost of Rs. 1000.00 each in cash or by post for Rs. 1100.00 payable by demand draft in favour of the Director, Govt. Printing and Stationery, C. G., Raipur but NOT BY POSTAL ORDER/MONEY ORDER. The Tender form by post will be sent only on the condition that the required Bank Draft and application for purchase of tender form is received in this office upto 14-08-2013. The tender form will be despatched by Registered Post or by Speed Post or Courier Services but this office shall not be responsible if it is delivered late due to postal delay at both ends. It is advisable that tender form may be obtained in person. Cost of Tender Form once received shall not be refunded.

5. In Case if tenderer obtained the tender form from our website he shall have to submitted Rs. 1000 (Cash) in our office day before the date of submission of tender otherwise the tender will not be accepted.

Note :— Tender form can be downloaded from **www.etendersindia.net.**

Raipur, the 06 August 2013

CORRECTION IN TENDER

No. GB-IV Paper-(1) 2013-2014/588-. With reference to the tender notice No. G.B.IV Paper (1) 2013-2014/569 Date 30-07-2013 of this office, published in news papers, correction is made as per the order No. 243/वि/नि/चार/2013

dated 6 जुलाई 2013 of C. G. Govt. Finance department. All Tenderers will have to follow the above rules.

The detail corrections can be seen in the tender form or visit. www.etendersindia.net.

Sd/-
(Chandrakant Uikey)
Director,
Govt. Printing & Stationery
Chhattisgarh, Raipur.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 2 जुलाई 2013

प्रारूप
[देखें नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग के समक्ष

क्रमांक /2196/प्र. 2/अ. वि. अ./2013.— यत: कि श्री एल. एम. पाण्डेय, निवासी ई. डब्ल्यू. एस.-1 वैशालीनगर, भिलाई द्वारा "मुरली मनोहर सेवा न्यास "-ई. डब्ल्यू. एस.-1, वैशालीनगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 08-08-2013 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	मुरली मनोहर सेवा न्यास, भिलाई ई. डब्ल्यू. एस.-1 वैशालीनगर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	11000.00 नगद (31-3-2013 की स्थिति में)
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मुहर
दुर्ग, दिनांक 02-07-2013

संजय कुमार दीवान,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अन्य सूचनाएं

वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

धमतरी, दिनांक 15 जुलाई 2013

क्रमांक/246.— वन परिक्षेत्र अधिकारी दुगली ने पत्र क्रमांक/361 दिनांक 15-05-2013 द्वारा सूचित किया गया है कि निम्नानुसार दर्शाये गये मार्किंग हैमर परिक्षेत्र सहायक जबर्रा श्री रघुनन्दन लाल सिन्हा को कूप क्रमांक C/X S.C.I. दुगली कक्ष क्रमांक 335, रकबा 198.000 हे. में मार्किंग कार्य हेतु जारी किया गया था, जिसे गुमा दिया गया है. हैमर की खोज के समस्त प्रयास असफल रहे.

अत: वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए गुमशुदा मार्किंग हैमर आकृति को अभिलेख से अपलेखित किया जाता है. हैमर की कीमत स्टोर स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं होने के कारण वर्तमान बाजार मूल्य लगभग रुपये 250.00 (दो सौ पचास रुपये मात्र) परिक्षेत्र सहायक जबर्रा, श्री रघुनन्दन लाल सिन्हा से वसूल करने का आदेश दिया जाता है तथा शासकीय कार्य में लापरवाही के लिए उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है एवं भविष्य के लिये सचेत किया जाता है.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हैमर मिले तो वह हैमर निकटतम थाना में या वन कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

के. के. बिसेन,
वनमंडलाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.